न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

रामकिशोर सोनी तनय स्व. श्री रामप्रताप सोनी उम्र 75 वर्ष ग्राम गोरगांव 165 Rs- 30/-
थाना/तहसील रासपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र. ....निगरानीकर्ता

R5396-II/16

बनाम्

.....................गैरनिगराकार

म.प्र.शासन

अधिवक्ता श्री रामानन्द मिश्रा द्वारा प्रस्तुत 08-9-16

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 26.07.2016 प्रकरण क. 125/अ 12/2015–16 तहसील रायपुर कर्चु. जिला रीवा म.प्र. राजस्व अधिकारी राजस्व निरीक्षक तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार हैं कि –

यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक ने अपने स्वत्व अधिपत्य की आराजी खसरा नं. 562 रकबा 0.125 हे., खसरा 563 रकबा 0.073 हे., खसरा 1666 रकबा 0.364 हे., खसरा नं. 1668 रकबा 0.069 हे., खसरा 1699 रकबा 0.190 हे., कुल 5 किता स्थित ग्राम गोरगांव 165 तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र. की भूमि के सीमांकन हेतु धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई. के अंतर्गत न्यायालय श्रीमान् राजस्व अधिकारी राजस्व निरीक्षक तहसील रायपुर कर्चु. जिला रीवा म.प्र. के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिससे राजस्व निरीक्षक महोदय तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के आदेशानुसार हल्का पटवारी गोरगांव द्वारा दिनांक 22.06.2016 को भूमि खसरा नं. आवेदित आराजियों में से 562, 563 को छोड़कर मात्र आराजी नं. 1668, 1668, 1699 का सीमांकन हल्का पटवारी गोरगांव द्वारा सरहदी काश्तकारों के प्रभाव में आकर बिना सीमा चिन्ह के मनमानी रूप से सीमांकन किया गया है तथा निगरानीकर्ता/आवेदक की भूमि का सही सीमा चिन्ह से सीमांकन न करने के कारण अन्य सरहदी व्यक्तियों की भूमि को निगरानीकर्ता/आवेदक की भूमि का सीमा चिन्ह बताया गया है जिसका मौके पर आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा पटवारी हल्का गोरगांव से मौके से आपत्ति मौखिक रूप से की गई किन्तु हल्का पटवारी द्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता की आपत्ति नहीं सुनी तथा निगरानीकर्ता आवेदक को मौके से भगा दिया गया तथा हल्का पटवारी गोरगांव द्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता को धमकाया गया कि जैसा पटवारी नापेगा वैसे

........2

(139)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5396-II/16 जिला रीवा

रामकिशोर सोनी विरूद्ध म० प्र० शासन

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री रामानन्द मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त रायपुर कर्चु० तहसील रायपुर कर्चु० के प्रकरण क्रमांक 125/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26.07.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	